इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1993

सा.का.नि. 211.—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 (1985 का 50) की धारा 25(2) के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र सं. एफ 5-8/92 यू. 1 डेस्क, दिनांक 28-1-93 के अन्तर्गत सूचित कुलाध्यक्ष की अनुमति में उपयुक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शैक्षणिक स्टाफ के निबंधन तथा सेवा शर्तों और आचरण संहिता को शामिल किए जाने के संबंध में संविधि 17 के खंड (9) के उपखंड (क) में संशोधन करता है ;

संविधि 17 का खंड (9) का उपखंड (क) संशोधन के बाद निम्नलिखित पढ़ा जाएगा :

"अधिनियम, संविधियों और अध्यादेशों में यथा उपबंधित के सवाय विश्वविद्यालय के सभी अध्यापक अपनी 60वर्ष की आयु पूरी होने वाले महीने की अंतिम तारीख को अपराह्न में सेवा-निवृत्त होंगे।

यह संशोधन 28 जनवरी, 1993 से लागू होगा।

[सं. जी/स्टे (17)/89]

क. नारायणन, कुलसचिव

INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY

New Delhi, the 2nd April, 1993

G.S.R. 211.—In exercise of the powers conferred under the provisions of Section 25(2) of the IGNOU Act, 1985 (50 of 1985), the Board of Management ot the IGNOU, with the assent of Visitor conveyed vide MHRD letter No. F. 5-85|92-U 1 Desk dated 28-1-93, amends "sub-clause (a) of Clause (9) of Statute 17 on Terms and Conditions of Service and Code of Conduct of Academic staff to be included in the 2nd schedule of the Act ibid.

Sub-clause (a) of Clause (9) of Statute 17 will read as follows after the amendment :—

"Save as otherwise provided in the Act, Statutes and Ordinances, all teachers of the University shall retire from service on the afternoon of the last date of the month in which he|she attains the age of 60 years.'

This amendment is effective from January 28, 1993.

[No. G|St. 17)|89]

K. NARAYANAN, Registrar

वन और पर्यावरण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1993

सा.का.नि. 212.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून सें समूह "क" के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून (समूह "क") पद भर्ती नियम, 1992 है

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 लागू होना : ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं

5. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।